भारतीय फुटवियर, चमड़ा एवं सहायक सामान विकास कार्यक्रम की मानव संसाधन विकास उप-योजना संबंधी दिशानिर्देश

1. पृष्ठभूमि

चमड़ा एवं फुटवेयर उद्योग क्षेत्र का अपनी अच्छी निर्यात कमाई, रोजगार अवसर सृजन की क्षमता तथा सतत् वृद्धि हेतु अनुकूल परिस्थितियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। घरेलू उत्पादन तथा निर्यात में वृद्धि करने की इसमें विशाल क्षमता है जिससे जनशक्ति का समावेश तथा मौजूदा कर्मचारियों की उन्नति दोनों जरूरतें आवश्यक हो जाती हैं। इस समय सभी स्तरों पर समुचित रूप से प्रशिक्षित तथा कुशल जनशक्ति की जरूरत महसूस की जा रही है, निचले स्तर पर अर्ध-कुशल कार्य बल की अत्यधिक कमी महसूस की जा रही है।

एचआरडी उप-स्कीम का लक्ष्य, ग्रामीण क्षेत्रों का संभावित कार्यबल होगा तथा कौशल और तकनीकी विकास पर जोर रहेगा। उत्पादन से जुड़ी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों के इन लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा इस क्षेत्र में इन्हें रोजगार दिया जाएगा।

एचआरडी उप-योजना की शुरूआत के प्रत्याशित परिणाम से उपभोक्ताओं के लिए तकनीकी रूप से बेहतर उत्पाद उत्पादित करने के लिए प्रचालकों के कौशल में वृद्धि होगी तथा भारतीय ब्राण्डों को स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

2. उद्देश्य

- मांग आधारित कौशल-विकास कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को कर्मशाला प्रचालनों पर बाजार-आधारित कौशल प्रदान करना तथा उन्हें चमड़ा एवं फुटवेयर उद्योग में रोजगार पाने योग्य बनाना तथा औद्योगिक इकाइयों में सफल प्रशिक्षुओं को नियोजित करना ।
- मौजूदा कार्यबल के कौशल का उन्नयन करना, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन तथा गुणवत्ता में सुधार होगा।
- परियोजना में लगे प्रशिक्षकों/संस्था/एनजीओ के तकनीकी विशेषज्ञों के कौशल का उन्नयन करना तथा उन्हें सर्वोत्तम परंपराओं की जानकारी देना।
- भारतीय चमड़ा एवं फुटवेयर क्षेत्र में एक प्रौद्योगिकी संस्कृति का प्रचार-प्रसार करना तथा इसे बनाए रखना।

3. कार्य-क्षेत्र तथा कार्य

इस योजना में निम्नलिखित प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को शामिल करने के लिए सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल होंगे:

- **प्रारंभिक:** इसमें कर्मशाला प्रचालनों में प्रवेश स्तर पर ऐसे व्यक्तियों का प्रशिक्षण शामिल होगा, जो इस क्षेत्र में पहले से नियोजित न हों। **रोजगार से जुड़े प्रशिक्षण** पर बल दिया जाएगा, जिसमें प्रशिक्षितों को उद्योग में रोजगार दिया जाएगा तथा इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा।
- **द्वितीयक:** इसमें चमड़ा एवं फुटवेयर उद्योग के संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों में कर्मशाला प्रचालनों में पहले से लगे व्यक्तियों का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण शामिल होगा तथा इसमें स्थल पर प्रशिक्षण भी शामिल होगा। इसका लक्ष्य, शैक्षिक पृष्ठभूमि पर ध्यान दिए बिना शहरी/ग्रामीण युवा होंगे।
- **प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण:** इसकी शुरूआत भारतीय चमड़ा एवं फुटवेयर उद्योग में प्रौद्योगिकी संस्कृति का निर्माण करने तथा इसे बनाए रखने तथा तकनीकी संस्था/एनजीओ के परियोजना में लगे प्रशिक्षकों/विशेषज्ञों के कौशल के उन्नयन के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए की जाएगी। इसका आशय कामगारों के प्रशिक्षण में लगे व्यक्तियों को सर्वोत्तम परंपराओं की जानकारी देना है।

4. गतिविधियां तथा सहायता का स्वरूप

- **प्रारंभिक (कौशल विकास)**

  यह खण्ड, अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण के लिए नियोजन से संबद्ध वित्तीय सहायता तथा चमड़ा एवं फुटवेयर क्षेत्र के लाभदायक रोजगार में नियोजन पर ध्यान केंद्रित करेगा। प्रति प्रशिक्षु अधिकतम 15,000/- रुपए (सभी शामिल) की दर से सरकारी सहायता दी जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाली कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रशिक्षित व्यक्तियों में से 75 प्रतिशत को नियोजित करना होगा।

- **द्वितीयक (कौशल उन्नयन)**

  यह घटक कर्मशाला पर उद्योग के मौजूदा कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा। कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने तथा कामगारों को बेहतर विनिर्माण प्रक्रियाओं आदि से अवगत कराने के लिए उद्योग के मौजूदा कर्मचारी लक्षित लाभार्थी होंगे। इन प्रशिक्षुओं को उद्योग में मौजूद मशीनों पर प्रशिक्षित किया जाएगा तथा कौशल उन्नयन इस प्रशिक्षण के माध्यम से शुरू किया गया मुख्य क्रियाकलाप होगा। द्वितीयक स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार की सहायता से निष्पादित की जाएगी, जो प्रति प्रशिक्षु अथवा आंकड़ों के अनुसार जो भी कम है, अधिकतम 5000/- रुपए तक सीमित है। शेष व्यय की व्यवस्था संबंधित उद्योग द्वारा की जाएगी।

- **प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण**

  इस मद के अंतर्गत क्रियाकलाप प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए किए जाएंगे। यह सहायता, व्यय के लिए (ट्यूशन तथा प्रशिक्षुओं के अन्य व्यय जैसे: यात्रा, आवास, भोजन व्यवस्था आदि) कार्यक्रम अथवा वास्तविक लागत, जो भी कम हो, के माध्यम से ली गई प्रति प्रशिक्षक के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए की सीमा तक वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी।

5. कार्यान्वयन तंत्र

(i) **कार्यान्वयन एजेंसी की पहचान:** कौशल की अत्यधिक आवश्यकता तथा विभिन्न प्रकार की मौजूदा शक्तियों, जिनका फायदा उठाया जा सकता है, को देखते हुए यह योजना विभिन्न संभावित कार्यान्वयन

एजेंसी (आईए) द्वारा शुरू किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र के लिए सर्वाधिक अनुकूल अनेक किस्म के माडलों को अनुमति प्रदान करने में लचीली होगी। जहां तक प्राथमिक कौशल विकास संघटक का संबंध है, निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कोई भी एजेंसी, जिसके पास अपेक्षित क्षमता, पिछला कार्य निष्पादन रिकॉर्ड तथा जिम्मेदारी और पारदर्शिता की पर्याप्त पद्धतियां हों, प्रशिक्षण के लिए एक सुव्यवस्थित परियोजना तथा युवाओं को एक नियमित रोजगार में नियोजित करने के वास्ते सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगी। उदाहरणार्थ, ये एजेंसियां व्यवस्था में मौजूदा शक्तियों तथा क्षमताओं का लाभ उठाने की दृष्टि से निजी कार्पोरेट कंपनियां, गैर-सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संगठन, केंद्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियां, न्यास अथवा कार्पोरेट एजेंसियों के द्वारा प्रवर्तित अन्य कंपनियां आदि हो सकती हैं। आईए कारगर परियोजना कार्यान्वयन तथा प्रशासन के लिए जिम्मेदार होगी। द्वितीयक कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रखण्ड के लिए, आईए उद्योग अथवा उद्योग समूह द्वारा चिन्हित एक प्रशिक्षण एजेंसी हो सकती है। इस मामले में, विभाग के अंदर ही प्रशिक्षण दिलाने में सक्षम बड़ी इकाइयां भी आईए हो सकती हैं। प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु कार्यान्वयन एजेंसी एफडीडीआई, सीएलआरआई, एनआईडी, एनआईएफटी, समान दर्जे का कोई अन्य संस्थान जैसी कोई राष्ट्रीय संस्था होगी। सम्बद्ध उप-योजना के अंतर्गत अनुमोदित मेगा लेदर, फुटवेयर तथा सहायक उपकरण क्लस्टर के किसी प्राथमिक, द्वितीयक तथा प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिए प्रस्ताव करने वाली कार्यान्वयन एजेंसी, गैर-आवर्ती संघटक, जिसके लिए मेगा लेदर, फुटवेयर तथा सहायक उपकरण क्लस्टर उप-योजना के अंतर्गत अनुदान पहले से ही मंजूर किया जा चुका है, से किसी प्रकार की सहायता पाने की हकदार नहीं होगी।

(ii) **व्यापारों की पहचान**

इस योजना से चमड़ा उद्योग की मानव संसाधन जरूरतों का समाधान होगा, शामिल किए जाने वाले व्यापार वे होंगे जो खाल उतारने से तैयार उत्पाद तक की समग्र मूल्य श्रृंखला में नियोजित हैं जैसे कि खाल उधेड़ना, खाल का संरक्षण, चमड़े को रंगना, चमड़े का परिष्करण, कचरा शोधन, फुटवेयर (क्लिकिंग, क्लोजिंग, लास्टिंग आदि), फुटवेयर संघटक, चमड़ा परिधान, चमड़ा सामान तथा चमड़ा क्षेत्र का अन्य कोई कर्मशाला व्यापार आदि।

(iii) **प्रशिक्षुओं की पहचान/चयन**

प्रशिक्षुओं की पहचान/चयन का कार्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा स्थानीय प्रशासन की सहायता से संचालित किया जाएगा। कार्यक्रम में चयन प्रक्रिया मांग आधारित होनी चाहिए। कार्यान्वयन एजेंसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चयनित प्रशिक्षुओं का बैंक खाता उनके नामे आधार कार्ड से जुड़ा हुआ हो। प्रशिक्षुओं का चयन करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ महिलाओं/अल्प संख्यकों/कमजोर वर्गों तथा गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(iv) **प्रशिक्षुओं का न्यूनतम लक्ष्य**

जहां तक प्राथमिक कौशल विकास प्रशिक्षण का सवाल है, चूंकि यह सहायता प्रशिक्षण लागत को पूरा करने के लिए है, जिसमें मशीनरी की खरीद शामिल होगी, इसलिए प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रतिवर्ष 15000 प्रशिक्षुकों के हिसाब से कम-से-कम 3 वर्ष तक प्रशिक्षण संचालित किया जाना चाहिए, ताकि इन पूंजीगत व्ययों का लाभ बड़ी संख्या में व्यक्तियों के कौशल विकास की दिशा में पूर्णत: लिया जा सके।

कार्यान्वयन एजेंसी खरीदी गई मशीनरी के कार्यकाल के कम-से-कम 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के वास्ते एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगी।

(v) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मानकीकृत होना चाहिए और उद्योग को स्वीकार्य मानक के अनुसार होना चाहिए। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के अनुसार होना चाहिए और कार्यान्वयन एजेंसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रशिक्षण कार्यक्रम एनएसक्यूएफ़ के अनुरूप हो।

(vi) कार्यान्वयन

कार्यान्वयन एजेंसियों की पात्रता, प्रशिक्षणार्थियों की पहचान आदि के लिए जांच मानदंड का ब्यौरा, विभाग में चमड़ा प्रभाग के प्रभारी अपर सचिव/संयुक्त सचिव की अध्यक्षता वाली संचालन समिति द्वारा तैयार किया जाएगा। राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी की योजनाओं के साथ अनुरूपता स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा ताकि दोहराव से बचा जा सके। मानदंड का पूर्व-निर्धारित तथा पारदर्शी ढांचा स्थापित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि कौशल ढांचों एवं प्रक्रियाओं का मानकीकरण किया जा सके। इस संचालन समिति में संबंधित पणधारकों का प्रतिनिधित्व रहेगा जिसे विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसियां, जो इस योजना के तहत प्रशिक्षण आयोजित किए जाने की इच्छुक हैं, वे 3 वर्षों के लिए प्रस्तावित वार्षिक लक्ष्य सहित जांच मानदंड को ध्यान में रखते हुए एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी।

इस प्रस्ताव की योजना के दिशानिर्देशों के आधार पर जांच एवं मूल्यांकन किया जाएगा। इसके पश्चात 15 करोड़ रूपए तक के प्रस्ताव के मामले में प्रस्ताव संचालन समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। 15 करोड़ रूपए से अधिक की परियोजनाएं विभाग द्वारा अधिसूचित की जाने वाली अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित की जाएगी। अनुमोदित मामलों में निधीयन, विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

एक सशक्त ऑनलाइन आईटी अनुप्रयोग की व्यवस्था की इसलिए व्यवस्था की जाएगी ताकि सभी हितधारकों द्वारा प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षुओं के रोज़गार पर निगरानी रखी जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच कोई अधिव्यापन नहीं है।

कार्यान्वयन एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उद्योग प्रोत्साहन के लिए मौजूदा श्रमशक्ति को प्रतिस्थापित न करें।

समन्वय द्वारा राज्य कौशल विकास मिशन (एसडीएम) के माध्यम से इस योजना में राज्य की भागीदारी और वित्तीय सहायता को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

एक प्रभावी समन्वय तंत्र, जिसमें उद्योग, प्रशिक्षण संस्थानों और राज्य एसडीएम सहित सभी हितधारकों को शामिल किया जाएगा, उन्हें समान गुणवत्ता तथा प्रशिक्षण और प्रभावी नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और क्लस्टर स्तर पर स्थापित किया जाएगा।

(vii) राष्ट्रीय निगरानी इकाई- एनएमयू:

इस योजना के तहत अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन से कार्यक्रमों के लिए एनएमयू को विनिर्दिष्ट किया जाएगा । एनएमयू प्रतिवर्ष कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण की सामयिक निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी होगी। कार्यान्वयन एजेंसी एनएमयू को प्रशिक्षण के ब्यौरे प्रदान करने तथा प्रशिक्षुओं के बैंक खातों को आधार कार्ड से जोडने के लिए उत्तरदायी होगी। कार्यान्वयन एजेंसियां प्रशिक्षणार्थियों के नियोजन से संबंधित सूचना के संप्रेषण के लिए एनएमयू एवं डीआईपीपी को रोजगारदाता का नियुक्ति पत्र भी प्रदान करेंगी। कार्यान्वयन एजेंसी सुनिश्चत करेगी कि योजना का कार्यान्वयन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन (डीबीटी) के दिशानिर्देशों के अनुसार हो। एनएमयू द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट डीआईपीपी तथा कार्यान्वयन एजेंसी को प्रस्तुत की जाएगी। अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन अनुसार एक उपयुक्त राशि निगरानी प्रभार के रूप में एनएमयू को दी जाएगी।

6. कौशल विकास के लिए उत्पादन संबद्ध वित्तीय सहायता के प्रमुख मापदंड

- **प्रशिक्षण अवधि:**

i. नियोजन संबद्ध कौशल विकास प्रशिक्षण के कोर्स की अवधि रोजगार प्रशिक्षण के दो सप्ताह के अतिरिक्त कम से कम चार सप्ताह की होनी चाहिए।

ii. द्वितीयक कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कम से कम दो सप्ताह का होना चाहिए।

iii. प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों द्वारा तय की जाएगी।

नियोजन: कार्यान्वयन एजेंसी उद्योग के साथ भागीदारी करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी और दिशानिर्देशों की अपेक्षानुसार (पैरा-4) सफलतापूर्वक प्रशिक्षित अभ्यार्थियों को रोजगार के लिए औद्योगिक इकाइयों की वचनबद्धता प्राप्त करेगी। इस आश्य से कार्यान्वयन एजेंसी भावी रोजगार प्रदाओं से वचनबद्धता का पत्र प्राप्त कर सकती है और उनको प्रशिक्षणार्थियों के चयन की प्रक्रिया, दक्षता मूल्यांकन तथा विषय-वस्तु के विकास में शामिल कर सकती है।

- **रोजगार पश्चात अनुगमन-** कार्यान्वयन एजेंसी इस योजना के तहत प्रशिक्षित तथा रोजगार में लगाए गए व्यक्तियों का डाटाबेस रखेगी। कार्यान्वयन एजेंसी योजना के तहत प्रशक्षित एवं नियोजित व्यक्तियों की रोजगार स्थिति संबंधी रिपोर्ट एनएमयू को प्रस्तुत करेगी जो इसके पश्चात उद्योग में प्रारंभिक रोजगार के बाद छः माह पूरा होने पर विभाग को सूचित करेगी।

- **पणधारक उत्तरदायित्व**

i. उद्योग- इस कार्यक्रम का उद्देश्य चमड़ा एवं फुटवेयर क्षेत्र को कुशल मानवबल उपलब्ध कराना है ताकि वे अर्थव्यवस्था में विकास के अवसर का लाभ ले सके। इसलिए संभाव्य रोजगार प्रदाता इस परियोजना में रोजगार के लिए वचनबद्धता पत्रों की पेशकश, विषय-वस्तु के विकास, अभ्यार्थी के चयन एवं मूल्यांकन में भागीदारी तथा कार्यान्वयन एजेंसी के लिए सम्यक जानकारी की उपलब्धता के जरिए अपनी भागीदारी अवश्य प्रदर्शित करे।

ii. **राज्य सरकार-** राज्य सरकार, जहां भी व्यवहार्य हो, भवन, मशीनरी, वित्तीय सहायता आदि जैसे अवसंरचना के रूप में सहायता प्रदान कर सकती है। राज्य सरकार प्रशिणार्थियों की यात्रा, भोजन तथा आवास संबंधी आवश्यकताओं में सहायता करने के लिए अपनी योजनाओं को उनके अनुसार बना सकती है।

iii. **केंद्र सरकार-** केंद्र सरकार इस योजना के प्रावधानों के अनुसार कौशल विकास कार्यक्रम के आयोजन को सुकर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। डीआईपीपी द्वारा संपूर्ण निगरानी एवं मूल्यांकन किया जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसियों तथा राष्ट्रीय निगरानी इकाई के बीच किसी प्रकार के विवाद के मामले में डीआईपीपी का निर्णय अंतिम होगा।

iv. **कार्यान्वयन एजेंसी-** कार्यान्वयन एजेंसी योजना, अभ्यर्थियों के चयन, विषय-वस्तु के विकास, प्रशिक्षण एवं नियोजन, संसाधन जुटाने और तदंतर निगरानी एवं मूल्यांकन तक संपूर्ण प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होगी।

v. **राष्ट्रीय निगरानी इकाई-** एनएनयू तकनीकी सहायता, निगरानी, मूल्यांकन आदि प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगी। यह सभी प्रशिक्षणार्थियों तथा सभी परियोजनाओं के डाटाबेस के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगी। यह योजना की निगरानी करेगी और समय-समय पर विभाग को रिपोर्ट भेजेगी।

vi. निधियां जारी करने के लिए प्रक्रिया-निधियां संचालन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसियों को मंत्रालय द्वारा जारी की जाएंगी। डीआईपीपी को लेखाओं की प्रस्तुति का दायित्व कार्यान्वयन एजेंसी पर निर्भर करेगा। केंद्र सरकार से सहायता किस्तों में जारी की जाएगी। 25% की पहली किस्त परियोजना शुरू करने के लिए शुरूआती खर्च को पूरा करने हेतु अग्रिम के रूप में जारी की जाएगी। 75% की अगली किस्तें परियोजना (अर्थात आयोजित प्रशिक्षण और प्राथमिक कौशल विकास प्रशिक्षण के मामले में प्रशिक्षणार्थियों के लिए सुरक्षित नियोजन के बाद) के संतोषजनक रूप से पूरा होने के बाद प्रतिपूर्ति आधार पर जारी की जाएंगी।

कार्यान्वयन एजेंसी प्रशिक्षणार्थियों, प्रशिक्षण तथा नियोजन के ब्यौरे सहित वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धि का उल्लेख करते हुए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

*****